

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 05.01.2025

गोतस्करी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 621/2024 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण-

दिनांक 26.10.2024 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वनस्पति मंदिर से 500 मीटर आगे चवरी मोड के पास पिकअप को चेक करने हेतु रोका गया तो पिकअप में बैठे 03 - 04 अभियुक्त पीछे से उतरकर भाग गये। 03 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय कुमार गौड़ पुत्र योगेंद्र गौड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 621/2024 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम -

1. उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. प्रशि0 उ0नि0 अर्जुन कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर